

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 538 OF 2022

IN THE MATTER OF :

Swaran Singh

... Applicant

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS

... Respondents

ADDITIONAL DOCUMENTS FILED BY RESPONDENT NO 1,2,4
AND 7.

<u>S.NO</u>	<u>DISCRIPTION</u>	<u>PAGE NO.</u>
1.	Permission order and Consent Affidavit, Himmat Singh S/o Kartar Singh	
2.	Permission and Consent Affidavit Subhash Chandra S/o Tika Ram	
3.	Permission and Consent Affidavit, Kripal Singh S/o Kartar Singh	
4.	Permission and Consent Affidavit, Karam Singh S/o Sucha Singh	
5.	Permission and Consent Affidavit, Sukhraj Singh S/o Kulwant Singh	
6.	Permission and Consent Affidavit, Rajendra Singh S/o Santosh Singh	

New Delhi 18.08.2023


 Counsel for Respondent No 1,2,4
 and 7.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Base Certificate No. : IN-UK36139321257992T
Rectified Certificate No. : IN-UK36143938889315T ✓
Certificate Issued Date : 09-Aug-2021 03:58 PM
Account Reference : NONACC (SV) uk1213004/ HALDWANI/ U
Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK121300476252409115241T
Purchased by : JOGA SINGH AND DALJEET SINGH
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : NA
Consideration Price (Rs.) : 0
(Zero)
First Party : JOGA SINGH AND DALJEET SINGH
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : JOGA SINGH AND DALJEET SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
(Ten only)

CANCELLED



श्री अ.:

.....Please write or type below this line.....

दालजीत सिंह
मोहम्मद

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ई0स्टाम्प संख्या IN-UK... 361393 0009 310T

शपथ पत्र/अनापत्ति

हम कि जोगा सिंह व दलजीत सिंह पुत्रगण श्री करतार सिंह निवासीयान पत्ता पानी, कालाढूंगी, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के है तथा शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करते हैं-

1. यह कि हमारा उपरोक्त नाम व पता सत्य एवं सही है।
2. यह कि हम शपथकर्तागण के नाम वाके पत्ता पानी, कालाढूंगी, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल के खसरा संख्या 161/3 मि0, 173/2 मि0, 174/2 मि0, 175/1 मि0 कुल रकवा 4.15 हे0 लगभग भूमि विगत कई वर्षों से बंजर एवं उबड़ खाबड़ है जिस पर खेती का कार्य नहीं हो पाता है।
3. यह कि शपथकर्तागण द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु उसमें जो भी खुदाई के समय उपखनिज निकलेगा शपथकर्तागण उसकी रायल्टी आदि जमा करने को तैयार रहेंगे, जिसमें कि मिट्टी भरान कर कृषि योग्य बनाना चाहते है।
4. यह कि शपथकर्तागण द्वारा उक्त भूमि को हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी पत्ता पानी, कालाढूंगी, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल को आपसी सहमति पर दी है, जिसमें हम शपथकर्तागण को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

जोगा सिंह & दलजीत सिंह
ह0 शपथकर्तागण

हम कि शपथकर्तागण उपरोक्त तस्दीक करते है कि शपथपत्र के पद संख्या 1 लगायत 4 तक अंकित तथ्य हमारी निजी जानकारी में सत्य एवं सही है कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। तस्दीक किया बमुकाम हल्द्वानी फक्त दिनांक 09.08.2021 ई0।

जोगा सिंह & दलजीत सिंह
ह0 शपथकर्तागण

certified that Mr/Sri...
the Depoent Identified by...
Reviewed & Verified the Contents of
his Affidavit at...
dated...

09-08-21

Manohar Karanga
Advocate
Notary Officer
Haldwani Nainital



Identified by



संख्या: 1909 / VII-A-1 / 2021 / 5(31) / 21 199

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 344 दिनांक 16/11/2021

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

o c l a c

अवर जिलाधिकारी
नैनीताल

सेवा में,
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषय: श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1572/30/जी०सी०/2021-22, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-2854/खनन/भू०खनि०ई०/समतलीकरण/2021-22 दिनांक 03 नवम्बर, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 3 में किये गये अतिरिक्त प्राक्धानानुसार जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के ग्राम पत्तापानी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) की निकासी हेतु 06 गज की उत्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र एम०एम०-10 अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत क्षेत्र में स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित मात्रा के अनुसार उपखनिज की निकासी की जायेगी।
6. आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार-बाड़ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
7. अनुज्ञाधारक के द्वारा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

o c l a c
W

8. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(दिनेश यादव)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 783/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021-22 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.इ./2021-22 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121मि., खसरा संख्या 88मि., तथा खसरा संख्या 89मि., व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88मि. व खसरा संख्या 89मि. मध्ये 0.241 है. भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 9.14 मीटर क्षेत्रफल में साइज में खेल फ़ैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 35214 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/- प्रतिघनमीटर की दर से रु. 54,22,956/- (चब्बन लाख, बाईस हजार, नौ सौ छपन रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 09,21,903/- (नौ लाख, इक्कीस हजार, नौ सौ तीन रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 13,55,739/- (तेरह लाख, पचपन हजार, सात सौ उन्तालीस रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, बेसमेंट निर्माण हेतु बेसमेंट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 35214 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.-12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेंट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमेंट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमेंट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमेंट हेतु निर्मित गढ़बे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमेंट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7. यदि बेसमेंट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
 8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
 9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।
 10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से गहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट :-** उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./-
 (धीराज सिंह गर्ब्याल)
 जिलाधिकारी,
 नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1644/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्या सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.,
 नैनीताल

गणक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1


देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021

विषय: श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकबा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 08 माह की अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3546/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021-22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकबा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 276640 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी रू0 4,26,02,560/-, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 63,90,384/- तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 8,52,052/- तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन को धनराशि रू0 1,06,50,640/- का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा वालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनिर्दिष्टता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तुतित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
7. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।



-2-

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाड़ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही आवेदित भूमि से उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कडई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वृत्त कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2140 (1)/VII-A-1/2021, तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं पश्चिम, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।




सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK53111498338651T
Certificate Issued Date	: 09-Nov-2021 11:56 AM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1262804/ HALDWANI/ UK-NT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKJK126280410490123327336T
Purchased by	: MANINDAR SINGH AND OTHERS
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: MANINDAR SINGH AND OTHERS
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: MANINDAR SINGH AND OTHERS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 10 (Ten only)

**Statutory Alert:**

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.sticilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and available on the website / Mobile App renders it Invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भू-स्वामी का अनापत्ति/सहमति पत्र/शपथपत्र

हम कि मनिन्दर सिंह, सनविन्दर सिंह पुत्रगण श्री राम सिंह, सुरजीत कौर पत्नी राम सिंह, वीरो बाई पत्नी करतार सिंह, देशराज, नत्थाराम पुत्रगण गुरुदित्ता, राजकुमारी पत्नी जगतार सिंह निवासीगण ग्राम सेमलचौड, तहसील कालादुंगी, जिला नैनीताल के हैं, एवं निम्न सहमति देते हैं-

1. यह कि सहमतिकर्तागणों की ग्राम ग्राम सेमलचौड, तहसील कालादुंगी, जिला नैनीताल खाता खतौनी सं० 85 खसरा सं० 229/4, 230/4, रकबा 2.17 हे०, खतौनी सं० 78 खसरा सं० 229/5/2, 230/5/1 रकबा 0.348 हे०, खतौनी सं० 70 खसरा सं० 229/5/1 रकबा 1.215 हे० खाता सं० 85, 70, 78 मध्ये 3.0 एकड़ खतौनी सं० 29 खसरा सं० 229/3/1, 230/3, रकबा 1.754 हे० मध्ये 3.5 एकड़ कुल रकबा 6.5 एकड़ भूमि राजस्व अभिलेखों में संक्रमीण अधिकार वाली श्रेणी 1(क) में दर्ज है।
2. यह कि सहमतिकर्तागणों की उपरोक्त भूमि उबडखाबड है जिसमें रेता बजरी एकत्रित है जिस कारण कृषि कार्य नहीं हो पा रहा है। सहमतिकर्तागण अपनी उक्त वर्णित भूमि से तीन मीटर गहराई तक रेता-बजरी हटाकर, उसमें मिट्टी भरान कर कृषि योग्य बनाना चाहते हैं। यानि भूमि को समतलीकरण कराना चाहते हैं।
3. यह कि सहमतिकर्तागणों के पास आवश्यक संसाधन नहीं है जिस कारण सहमतिकर्तागण श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर मोतीराम, तहसील लालकुंआ जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड को भूमि के समतलीकरण हेतु अपनी ओर से अधिकृत कर रहे हैं एवं उक्त वर्णित भूमि में समतलीकरण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति दे रहे हैं।
4. यह कि श्री सुभाष चन्द्र सहमतिकर्तागणों की उक्त वर्णित भूमि में अपने नाम से समतलीकरण अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे, तथा इस हेतु जो भी आवश्यक कार्यवाही करनी हो, अपने स्तर से कर सकेंगे, तथा अपने नाम से खनन विभाग से खनने आदि प्राप्त कर सकेंगे

अतः यह सहमति तहरीर कर दी है। ताकि वक्त जरूरत पर काम आये। दिनांक- 08.11.2021



Mohinder
Sawinder

Deshraj

नत्थाराम

सुरजीत कौर वीरो बाई

हस्ताक्षर सहमतिकर्तागण उपरोक्त

राजकुमारी

Identified by

Yogesh Kumar Dew
Notary,
Distt. Nainital
9.11.21

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 766/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021-22 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.इ./2021-22 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रकवा 1.676 है, खाता संख्या 85 के खसरा नं. 231/4/2 रकवा 1.474 है. भूमि व खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रकवा 2.745 है. भूमि कुल 5895 है. भूमि मध्ये रकवा 0.753 है. भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 12 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्बेल फैंक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 1,44,693 घनमीटर आर.वी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/- प्रतिघनमीटर की दर से रु. 02,22,82,729/- (दो करोड़, बाईस लाख, बयासी हजार, सात सौ उन्तीस रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 37,88,064/- (सैंतीस लाख, अठासी हजार, चौंसठ रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 55,70,683/- (पचपन लाख, सत्तर हजार, छः सौ तिरासी रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, होटल निर्माण के बेसमेंट पार्किंग निर्माण हेतु बेसमेंट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर.वी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.-12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेंट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमेंट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमेंट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमेंट हेतु निर्मित गढ़दे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमेंट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो

- निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।
7. यदि बेसमेंट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को रीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनशशि जप्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
 8. आर.बी.एम. की निकासी/उत्तान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुरांगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर सैयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
 9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न शरारा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।
 10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से बाहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट :-** उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./-
(धीराज सिंह गर्वाल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1643/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि./सा.),
नैनीताल



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ID No. UK1306904
MOB: 8171727165

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK48082907889788T
Certificate Issued Date	: 08-Oct-2021 10:27 AM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130690400344279693483T
Purchased by	: Surjeet Kaur And Others
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: 0
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Surjeet Kaur And Others
Second Party	: To whom it may concerns
Stamp Duty Paid By	: Surjeet Kaur And Others
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

शुभपत्र



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सहमति-पत्र

समक्ष-श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल।

शपथपत्र मिनजानिव श्री सुरजीत कौर पत्नी श्री राम सिंह, सनविन्दर सिंह, मनिन्दर सिंह पुत्रगण श्री राम सिंह निवासीगण ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल उत्तराखण्ड।



हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करते है-

- 1- यह कि हम अपने उपरोक्त नाम व पते के स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्तागण के नाम ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल के खाता संख्या-00085 में भूमि दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण की उक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालौनी तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति चाहने वाकत आवेदन किया गया है, जिसकी शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह को होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।
- 5- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह को होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने हमारा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

Manish
सुरजीत कौर
S ~ ~

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

MINI SIGNAL
E-STAMP VERIFIED
ACC ID No. UK1008004
MOB: 8171727165

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करते है कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1 लगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करापी गयी है, कोई बात झूठ नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।

Manish
सुरजीत कौर
S ~ ~

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

VERIFIED & AUTHENTICATED
SRI.....
THIS..... DAY..... OF.....

Sohan Lal Goyal
Notary Public
Reg. No.38/03/2010
Bazpur (U.S. Nagar) U.K.



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

HIMANCHAL
E-STAMP
ACC ID No. UK1306904
MOB: 8171727165

211

Certificate No.	: IN-UK46446946650410T
Certificate Issued Date	: 29-Sep-2021 03:11 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130690497047677602203T
Purchased by	: Harvansh Lal And Others
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: 0
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Harvansh Lal And Others
Second Party	: To whom it may concerns
Stamp Duty Paid By	: Harvansh Lal And Others
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

शिवलाल

हंस राव

हंसलाल

हंसलाल



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Noble App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्ष-सम्बन्धित अधिकारी महोदय, नैनीताल।



शपथपत्र मिनजानिव श्री हरवंश लाल, हंसराज कम्बोज, दशम श्याम पुत्रगण चानिन राम निवासीगण ग्राम जोगीपुरा तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड।

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करते हैं-

- 1- यह कि हम अपने उपरोक्त नाम व पते के स्थाई निवासी हूँ।
- 2- यह कि शपथकर्तागण के नाम ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादुंगी जिला नैनीताल के खाता संख्या-00029 में भूमि दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण की उक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालौनी, बाजपुर तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति चाहने वावत आवेदन किया गया है, जिसकी शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह को होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।
- 5- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह को होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने वावत हमारा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

हंसराज कम्बोज

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ACC ID No UK कोई भी डूट नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।
MOB: 8171727165

लेगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है,

कोई भी डूट नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।

दशम श्याम
दशम श्याम

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

हंसराज कम्बोज

VERIFIED & AUTHENTICATED
SRI...
THIS...DAY...OF...

Sohan Lal Goyal
Notary Public
Reg. No.38/03/2010
Bazpur (U.S. Nagar) U.K.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ACC I.D No. UK1306904
8171727165

e-Stamp

Certificate No. : IN-UK45753501878642T
 Certificate Issued Date : 26-Sep-2021 01:37 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK130690495639435409502T
 Purchased by : Veero Bai Wife of Kartar Singh
 Description of Document : Article 4 Affidavit
 Property Description : 0
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : Veero Bai Wife of Kartar Singh
 Second Party : To whom it may concerns
 Stamp Duty Paid By : Veero Bai Wife of Kartar Singh
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

शुभम



Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्ष-श्रीमान सम्बन्धित कार्यालय।

शपथपत्र मिनजानिव वीरोबाई पत्नी श्री करतार सिंह निवासी विजयपुर धर्मोला/तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल।



मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करती हूँ-

- 1- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त नाम व पते की स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता के नाम ग्राम सेमलचौड तहसील कालादूंगी के खाता संख्या-00078 के खसरा न0-231 की भूमि दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालौनी, बाजपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा वेसमेन्ट बनाने की अनुमति चाहने वावत आवेदन किया गया है, जिसकी शपथकर्ता को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्ता की उपरोक्त भूमि में श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह को वेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है।
- 5- यह कि श्री कृपाल सिंह को उपरोक्त भूमि में वेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने वावत मेरा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

श्री करतार सिंह

हस्ताक्षर शपथकर्ता-

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करती हूँ कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1 लगायत 4 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है, कोई बात झूठ नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

श्री करतार सिंह

हस्ताक्षर शपथकर्ता-

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ACC ID No UK1306904
MOB: 8171727

VERIFIED & AUTHENTICATED

SRI...*Shri Karan Singh*.....

THIS...*27*...DAY...*09*...OF...*08/21*

Sohan Lal Goyal

Notary Public

Reg. No.38/03/2010

Barpur (U.S. Nagar) U.K.

-: आदेश :-

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग-1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 783/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021-22 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.इ./2021-22 दिनांक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालादूँगी, जनपद नैनीताल को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालादूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426-1431 फसली के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121मि., खसरा संख्या 88मि., तथा खसरा संख्या 89मि., व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88मि. व खसरा संख्या 89मि. मध्ये 0.241 है. भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 9.14 मीटर क्षेत्रफल में साइज में खेल फ़ैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 35214 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/- प्रतिघनमीटर की दर से रु. 54,22,956/- (चब्बन लाख, बाईस हजार, नौ सौ छपन रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 09,21,903/- (नौ लाख, इक्कीस हजार, नौ सौ तीन रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 13,55,739/- (तेरह लाख, पचपन हजार, सात सौ उन्तालीस रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, बेसमेंट निर्माण हेतु बेसमेंट खुदान की अनुमति व उक्त भू-भाग पर बेसमेंट खुदान से निकलने वाले कुल 35214 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :-

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.-12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेंट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमेंट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमेंट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमेंट हेतु निर्मित गढ़बे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमेंट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7. यदि बेसमेंट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
 8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
 9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।
 10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से गहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी।
 12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।
- नोट :-** उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./—
 (धीराज सिंह गर्ब्याल)
 जिलाधिकारी,
 नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1644/30-जी.सी./2021-22

दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।
- 3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
- 4- श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्या सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालादूंगी, जनपद नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.,
 नैनीताल



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

Handwritten signature
E-S
ACC.I.D NO. UK1306904
MOB: 8171727165

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK44651379129934T
Certificate Issued Date	: 21-Sep-2021 02:13 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130690493415097885793T
Purchased by	: Karam Singh Son of Suchcha Singh
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: 0
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Karam Singh Son of Suchcha Singh
Secord Party	: To whom it may concerns
Stamp Duty Paid By	: Karam Singh Son of Suchcha Singh
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

शिवधियाल

क. र. म. सिंह

(क. र. म. सिंह)



Statutory Alert

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्ष-श्रीमान सम्बन्धित कार्यालय।

शपथपत्र मिनजानिय जसवन्त सिंह, हरवन्त सिंह पुत्रगण श्री चरन सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, बैलपड़ाव तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल।

में शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करता हूँ-

- 1- यह कि शपथकर्ता अपने उपरोक्त नाम व पते का स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता के नाम ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल स्थित खाता संख्या-00032 के खसरा न0-88मि0 रकवा 0.2570 है0 व खसरा न0-122मि0 रकवा 0.2810 है0 कुल रकवा 0.5380 है0 भूमि दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल द्वारा बेसमेन्ट बनाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री करम सिंह को बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।
- 5- यह कि श्री करम सिंह को शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने वावत शपथकर्तागण का सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

Jaswan Singh

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ACC I.D No. UK 8306304
MOB: 8171727165

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करते है कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1 लगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है, कोई बात झूठ नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

Jaswan Singh

हस्ताक्षर शपथकर्तागण-

VERIFIED & AUTHENTICATED
SRI. JASWAN SINGH
THIS... 21... DAY... 08/24

Sohan Lal Goyal

Notary Public

Reg. No. 38/03/2010

Bazpur (U.S. Nagar) U.K.

02/24/24

शपथपत्र

समक्ष—श्रीमान सम्बन्धित कार्यालय।



शपथपत्र मिनजानिव श्री जसवन्त सिंह, हरवन्त सिंह पुत्रगण श्री चरन सिंह निवासीगण ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करते है कि—

- 1- यह कि शपथकर्तागण अपने उपरोक्त नाम व पते के स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्तागण के नाम ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल स्थित खाता संख्या-00032 के खसरा न०-88मि०, रकवा 0.2570 है० व खसरा न०-122मि० रकवा 0.2810 है० कुल रकवा 0.5380 है० भूमि दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल द्वारा बेसमेन्ट बनाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री करम सिंह को बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।
- 5- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री करम सिंह को बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने वावत सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

हरवन्त सिंह

हस्ताक्षर शपथकर्तागण—

HIMANCHAL
E-STAMP VENDOR
ACC ID No. UK1306904
MOB: 8171727165

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1 लगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है, कोई बात झूठ नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

हरवन्त सिंह

हस्ताक्षर शपथकर्तागण—

VERIFIED & AUTHENTICATED
SRI. *Sohan Lal Goyal*
THIS.....21.....DAY.....09.....OF.....02

Sohan Lal Goyal
Notary Public
Reg. No. 38/03/2010
Bazpur (U.S. Nagar) U.K.

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: ०५ जनवरी, 2022

विषय: श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालादूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4156/खनन/भू०खनि०ई०/उ०सि०न०/2021-22, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-3 के अतिरिक्त प्रावधानानुसार श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालादूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत भूमि में सहमति प्राप्त भूमि के बंधक मुक्त होने के उपरान्त ही उपखनिज की निकासी की जायेगी।
2. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-खनना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
4. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 1,28,000 घनमीटर आर०वी०एम० की रायल्टी रु 1,97,12,000/- (रु एक करोड़ सत्तानब्बे लाख बारह हजार मात्र), 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रु 29,56,800/- (रु उनतीस लाख छप्पन हजार आठ सौ मात्र) तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रु 3,94,240/- (रु तीन लाख चौरानब्बे हजार दो सौ चालीस मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की धनराशि रु 49,28,000/- (रु उनपचास लाख अट्ठाईस हजार मात्र) का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनप्रदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की पेशा में अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार-बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या: २४' (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. जिला खान अधिकारी, नैनीताल।
3. श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधनसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand



HIMANCHAL
E-Stamp System
ACC. ID No. 181306904
MOB 8171727165

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK56091262170056T
Certificate Issued Date	: 26-Nov-2021 10:34 AM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130690416495900712491T
Purchased by	: Umakant And Bhuwan Chandra And Others
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: 0
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Umakant And Bhuwan Chandra And Others
Second Party	: To Whom it may Concerns
Stamp Duty Paid By	: Umakant And Bhuwan Chandra And Others
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



.....Please write or type below this line.....



Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.stilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
- 2 Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 3 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- 3 In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथपत्र

समक्ष-सक्षम अधिकारी।

शपथपत्र मिनजानिव उमाकान्त पुत्र श्री नन्दाबल्लम, भुवनचन्द्र पुत्र श्री पीताम्बर, किशनराम पुत्र श्री गंगाराम, प्रदीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रलाल निवासीगण ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल।



हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक निम्न लिखित ब्यान करते है-

- 1- यह कि हम अपने उपरोक्त नाम व पते के स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्तागण के नाम ग्राम सेमलचौड़ (भाबरकोट) तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल के खाता संख्या-00010 के खसरा न0-171 रकवा 0.487 हैक्टेयर व खाता संख्या-00056 के खसरा न0-168 रकवा 0.503 है, खसरा न0- 169 रकवा 0.5820 है, खसरा न0- 170 रकवा 0.6330 है कुल रकवा 2.205 हैक्टेयर मध्ये रकवा 1.0176 है० भूमि सहखातेदारी में दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण के हिस्से की भूमि रकवा 1.0176 हैक्टेयर भूमि के समतलीकरण हेतु श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा अनुमति चाहने वावत आवेदन किया गया है, जिसकी हम शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण के हिस्से की उपरोक्त भूमि के समतलीकरण हेतु श्री सुखराज सिंह को अनुमति दिये जाने में हम शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी।
- 5- यह कि श्री सुखराज सिंह को शपथकर्तागण के हिस्से की भूमि के समतलीकरण हेतु अनुमति दिये जाने वावत हमारा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

HIRANGHAL
 E-STAMP VENDOR
 ACCID No UK1306904
 MOB: 8171727165

उमाकान्त
ह0उमाकान्त,

भुवनचन्द्र
ह0 भुवनचन्द्र,

किशनराम,
ह0किशनराम,

प्रदीप कुमार
ह0प्रदीप कुमार

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करते है कि मजमून शपथपत्र के पेरा 1 लगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है, कोई बात झूठ नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करें।

उमाकान्त
ह0उमाकान्त,

भुवनचन्द्र
ह0 भुवनचन्द्र,

किशनराम,
ह0किशनराम,

प्रदीप कुमार
ह0प्रदीप कुमार

VERIFIED & AUTHENTICATED

SRI.....उमाकान्त, भुवनचन्द्र, किशनराम, प्रदीप कुमार
THIS.....15 MAY 11.....06:45

Sohan Lal Goyal

Notary Public

Reg. No.38/03/2010

Bazpur (U.S. Nagar) U.K

अधक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

शेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 23 दिसम्बर, 2021


विषय: श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालादूंगी के ग्राम रोगलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल एकवा 7.128 है0 मध्ये 2430 है0 भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-3572/खनन/भू0खनि0ई0/उ0सि0न0/2021-22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम-3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालादूंगी के ग्राम रोगलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल एकवा 7.128 है0 मध्ये 2430 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम-17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई-खन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी रू0 8,98,12,800/-, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 1,34,71,920/- तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 17,96,256/- तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन की धनराशि रू0 2,24,53,200/- का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. अनुज्ञा स्वीकृति में सहमति प्राप्त क्षेत्र/भूमि के बन्धक मुक्त होने के उपरान्त भी उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरुद्ध नियमानुसार अर्धदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।

क्रमशः.....



8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-वाढ लगाई जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2161 (1)/VII-A-1/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

HIMANCHAL
E-STAMP VERIFICATION
ACC ID NO UK1306904
MOB 8171727165

226

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK51845908074823T
Certificate Issued Date	: 29-Oct-2021 03:55 PM
Account Reference	: NONACC (SV)/ uk1306904/ BAJPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK130690407948045444951T
Purchased by	: Rajender Singh Son of Santokh Singh
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: 0
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: Harvansh Lal Hansraj Kamboj And Others
Second Party	: Rajender Singh Son of Santokh Singh
Stamp Duty Paid By	: Rajender Singh Son of Santokh Singh
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

राजेंद्र सिंह



Rajinder Singh

सत्यमेव जयते

राजेंद्र सिंह

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website/ Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष




MOHINDER PUBLIC
Sohan Lal Goyal
Advocate
Barpur (U.S. Nagar) U.K.
Reg. No. 38/03/12010
GOVT. OF UTTAR PRADESH


MOHINDER PUBLIC
Sohan Lal Goyal
Advocate
Barpur (U.S. Nagar) U.K.
Reg. No. 38/03/12010
GOVT. OF UTTAR PRADESH



MOHINDER PUBLIC
Sohan Lal Goyal
Advocate
Barpur (U.S. Nagar) U.K.
Reg. No. 38/03/12010
GOVT. OF UTTAR PRADESH



सहमति-शपथपत्र



शपथ पत्र मिनजानिब श्री हरवंश लाल, हंसराज कम्बोज, दर्शन राम, पुत्रगण श्री चानन राम निवासीगण- ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर, सनविन्दर सिंह, मनिन्दर सिंह पुत्रगण श्री राम सिंह, सुरजीत कौर पत्नी श्रीराम सिंह निवासीगण- ग्राम सेमलचौड, तहसील कालादूंगी, वीरो बाई पत्नी श्री करतार सिंह निवासी- ग्राम विजयपुर धमोला, तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल।

हम शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित ब्यान करते है कि :-

- 1- यह कि हम अपने उपरोक्त नाम व पते के स्थाई निवासी है।
- 2- यह कि शपथकर्तागण के नाम ग्राम सेमलचौड तहसील कालादूंगी जिला नैनीताल के खाता संख्या- 00029, खाता संख्या- 00085, खाता संख्या- 00078, खाता संख्या- 00070 मध्ये रकबा 08 एकड़ दर्ज कागजात माल है।
- 3- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी- ग्राम मुण्डिया मनी गुमसानी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर द्वारा रेता, बजरी, बोल्टर उठाने हेतु अनुज्ञा/अनुमति चाहने वावत आवेदन किया गया है, जिसकी हम शपथकर्तागण को पूर्ण जानकारी है।
- 4- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी- ग्राम मुण्डिया मनी गुमसानी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर द्वारा रेता, बजरी, बोल्टर उठाने हेतु अनुज्ञा/अनुमति दिये जाने में हम शपथकर्तागण को कोई आपत्ति नहीं है।
- 5- यह कि शपथकर्तागण की उपरोक्त भूमि पर श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी- ग्राम मुण्डिया मनी गुमसानी, तहसील बाजपुर जिला उधमसिंहनगर द्वारा रेता, बजरी, बोल्टर उठाने हेतु अनुज्ञा/अनुमति दिये जाने वावत हमारा सहमति शपथपत्र प्रस्तुत है।

मनिन्दर सिंह वीरो बाई सुरजीत कौर हरबंस लाल दर्शन राम हंसराज
ह0 शपथकर्तागण-

हम उपरोक्त शपथकर्तागण उपरोक्त शपथपूर्वक तस्दीक करते है कि मजमून शपथपत्र के पैरा 1 लगायत 5 हमारे निजी ज्ञान व विश्वास में सच व सही है, जिसकी तस्दीक करायी गयी है, कोई बाज झूठ नहीं है। ईश्वर हमारी मदद करे।

मनिन्दर सिंह वीरो बाई हरबंस लाल दर्शन राम हंसराज
ह0 शपथकर्तागण-

VERIFIED & AUTHENTICATED
SRI. HANSH RAO, HANSH RAO, HANSH RAO
THIS... 29... DAY 10/03/2010
Sohan Lal Goyal
Notary Public
Reg. No. 38/03/2010
Baipur (U.S. Nagar)